Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- बीकानेर में आबकारी निरीक्षक एवं उसके चालक को 28 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *14 मार्च।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की बीकानेर इकाई द्वारा आज रविवार को बीकानेर में कार्यवाही करते हुये आबकारी निरीक्षक राणूसिंह एवं उनके चालक धनपत राम को 28 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी कम्पोजिट शराब की दुकान पर कार्यवाही का भय दिखाकर आरोपी राणूसिंह आबकारी निरीक्षक द्वारा अपने चालक धनपत राम के माध्यम से प्रतिमाह 7 हजार रूपये के हिसाब से माह दिसम्बर 2020 से मार्च 2021 तक के चार माह के कुल 28 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की बीकानेर इकाई के **पुलिस निरीक्षक श्री आनन्द कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बीकानेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये **राणूसिंह** पुत्र स्व0 श्री आसूसिंह नि0 महाराजा हनुवंतनगर कॉलोनी, जोधपुर हाल **आबकारी निरीक्षक बीकानेर** एवं **धनपत राम** पुत्र श्री श्योलाल नि0 गांव निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ हाल नि0 इन्दिरा कॉलोनी बीकानेर को परिवादी से 28 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं* ***Whatsapp* *हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।